न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, वैशाली, हाजीपुर।

सत्रवाद सं0 65 / 2023

पुष्कर कुमार सिंह वगैरह बनाम् बिहार सरकार

अधीन धारा– 392, 411, 414 भा0द0वि0

Web Copy not Official

31.05.2024 प्रार्थी **धीरज कुमार,** न्यायिक अभिरक्षा तिथि 12.09.2022 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नियमित जमानत आवेदन परिचालित किया गया। इसकी प्रति विद्वान ए0पी0पी0 को दी गयी।

आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि पूर्व में आवेदक का नियमित जमानत सं0 164 / 23 विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निष्तारित कर दिया गया उसके बाद आवेदक का क्रिमिनल मिसलेनियस सं0 288 / 2024 एवं क्रिमिनल मिसलेनियस सं0 20597 / 2023 का निष्तारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा किया गया। उसके बाद आवेदक ने किसी भी न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन नहीं दिया है। आवेदक पर गोरौल थाना कांड सं0 32 / 2020, सदर थाना कांड सं0 191 / 2020, सदर थाना कांड सं0 399 / 2022, सदर थाना कांड सं0 370 / 2022, सालिमपुर थाना कांड सं0 124 / 2022, सालिमपुर थाना कांड सं0 133 / 2022, तेघ ाड़ा थाना कांड सं0 195 / 2022 दर्ज है। इस वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। इस वाद में आरोप का गठन हो चुक है। आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। इस वाद में तीन गवाह का परीक्षण हो चुका है। प्रतिपरीक्षण में गवाहों ने आवेदक को पहचानने से इंकार किया है। प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट होता है कि आवेदक इस वाद में संलिप्त नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में आवेदक का जमानत खारिज कर दिया है। लेकिन वर्तमान समय में इस वाद का कोई साक्ष्य नहीं है। इस वाद में अन्य अभियुक्त को जमानत की सुविधा मिल चुकी है। आवेदक के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक का नाम इस वाद में अन्य अभियुक्त के स्वीकारोक्ति बयान में आया है। इसी आलोक में आवेदन को स्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान ए0पी0पी0 द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए प्रार्थना किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध दि0 01.02.2023 को धारा 395, 397, 412, भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप गठन किया गया है और प्राथमिकी के अनुसार सूचक अख्तर हुसैन ने कहा है कि सूचक और उसके साढू नईम मियां लीची का व्यापार करते है। दि0 20.05.2022 को रात्रि करीब 8.30 बजे पिकअप गाड़ी जिसका निबंधन सं0 बीआर02जीए 6561 पर लीची लोडकर सूचक और उसके साढू चालक बजीर अहमद के साथ सुगौली के पास से जहानाबाद फल मंडी में लीची बिक्री के लिए जा रहे थे। जैसे ही सूचक लालगंज से हाजीपुर के तरफ 12 से 13 कि0मी0 आगे बढ़े कि मनुआ बाजार के पास रात्रि करीब 01.00 बजे एकाएक एक उजला रंग का मारूति कर से पिकअप को

लगातार

31.05.2024 ओभरटेक कर आगे से घेर लिया जब तक सूचक संभलता सभी लोग अपने हाथ में पिस्टल लिए गाड़ी में से सूचक को निकालने लगे। सूचक के पास से सात हजार रूपये और साढू के पास से तीन हजार रूपये छीन लिया। विरोध करने पर हमलोगों को चाकू और पिस्टल से हमला कर दिया। सूचक को दाहिने तरफ पेट में चाकू मारा गया और बायें तरफ पेट में गोली मार दिया। सूचक के साढू नईम मियां को बयें कुल्हे पर गोली मार दिया। पूरे शरीर पर कई जगह चाकू से गोद दिया गया। चालक को दो–तीन आदमी अपने मारूति में बैठाकर ले गए। वे लोग पिकअप को भी ले जाना चाहते थे लेकिन वह स्टार्ट नहीं हुआ। सूचक एवं उसके साढू को सदर अस्पताल ले जाया गया जहां से पी0एम0सी0एच रेफर कर दिया गया जहां उनका ईलाज हुआ। ऐसी स्थिति में उनके इस निवेदन को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी है।

सुना, एवं अभिलेख का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित करने के उपरांत संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के उपरांत इस न्यायालय द्वारा धारा 395, 397, 412, भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप गठित किया गया है और साक्षियों को समन निर्गत किया गया है। आरोप पत्र में नामित कुल 07 साक्षियों से मात्र तीन साक्षियों को ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जिन्होंने घटना का समर्थन किया है। धारा 395, 397, 412 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। भा0द0वि0 की धारा 395 के अन्तर्गत आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 397 में कम से कम सात वर्ष, धारा 412 में आजीवन कारावास या दस वर्ष तथा 27 आर्म्स एक्ट में सात वर्ष एवं जुर्माना का प्रावधान है। आदेश दि0 19.06.2023 द्वारा पुष्कर कुमार सिंह का जमानत स्वीकृत किया जा चुका है और अभियुक्त धीरज कुमार के विरूद्ध कुल सात मामले लंबित हैं जिसमें उनके उपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं । चूंकि वाद का विचारण अभी पूरा नहीं हुआ है एवं उपलबध साक्षियों ने वाद का समर्थन किया है यद्यपि उन्होंने अभियुक्त को नहीं पहचाना है फलस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रार्थी धीरज कुमार का नियमित जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः इस आवेदन को **खारिज** किया जाता है। फिर भी उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है कि सूचक और अन्य प्रमुख गवाहों के साक्षियों के साक्ष्य के उपरांत आवेदक 03 माह बाद पुनः अपना जमानत आवेदन प्रचालित कर सकता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय

Web Copy not Official